तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर मु.नं. :- ..... उनवान .....
20/7/26	PW 2 अभियुक्त शौकत खान अधिवक्ता द्वारा गवाह PW-11 जीवणा सिंह के बयान बोलकर लिए गए। साक्ष्य अभियोजन में साक्षी गवाहों के बयान पूर्ण हो चुके है। अन्य कोई गवाह शेष नही रहने पर साक्ष्य अभियोजन बंद की जाकर पत्रावली बयान हेतु नियत की जाती है। पत्रा वादे बयान हेतु दिनांक 10/8/26 को पेश हो।

सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट
लक्ष्मणगढ़ (सीकर) राजस्थान